## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नंबर 58/2022
ऑनलाईन नंबर 2022/88

निर्णय दिनांक 16.08.2023

1. ओमप्रकाश पुत्र बंशीलाल जाति व्यास (ब्राह्मण) निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. ताराचंद पुत्र बंशीलाल जाति व्यास (ब्राह्मण) निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।

—प्रार्थीगण—

**बनाम**

1. बंशीलाल पुत्र स्व. चुनाराम जाति व्यास (ब्राह्मण) निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. टिकमचंद पुत्र बंशीलाल जाति व्यास (ब्राह्मण) निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़।
4. उप पंजीयक श्रीडूंगरगढ़।

—अप्रार्थीगण—

**उपस्थितिः—**

1. श्री मोहनलाल सोनी अभिभाषक प्रार्थीगण
2. एतरफा कार्यवाही अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2
3. पैरोकारराज स्टेट की ओर।

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना—पत्र को समझने के लिए प्रार्थीगण की वंशावली निम्न प्रकार है :—

चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल

सोहनलाल — बंशीलाल

टीकमचंद — ओमप्रकाश — तााराचंद

यह है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 932 तादादी 15.18 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 918 तादादी 6.83 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। खेत खसरा नम्बर 932 तादादी 15.18 हैक्टेयर प्रार्थीगण के दादा चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल का 1/2 हिस्सा खातेदारी के रूप में स्थित था। खेत खसरा नम्बर 918 तादादी 6.83 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा प्रार्थीगण के दादा चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल की खातेदारी खेत है। खेतों के मिलान क्षेत्रफल की नकले प्रस्तुत की जा रही है जिसके मुताबिक खेत खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.10.03 12:32:59 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

नम्बर 918 के गत नम्बर 1043 व खेत खसरा नम्बर के गत नम्बर 948 थे इसी प्रकार खसरा नम्बर 948 के गत नम्बर 829 थे व खसरा नम्बर 1043 के गत नम्बर 817 हुवें। प्रार्थीगण दादा के देहान्त होने के बाद उक्त वर्णित खेतों के खातेदारी चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल जी की जगह उनके दोनों पुत्र सोहनलाल व बंशीलाल के नाम से रेवेन्यू रिकॉर्ड में विरासतन दर्ज हो गई। बंशीलाल अप्रार्थी है जो प्रार्थीगण का पिता है, प्रार्थीगण के दादा का नाम चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल है। इस प्रकार से वादगत दोनों खेत प्रार्थीगण के पैतृक खेत है। अप्रार्थी बंशीलाल ने वादगत खेतों के अलावा जो अन्य खेत थे जिनकी खातेदारी को विक्रय कर दिया। वादगत खेत को भी अप्रार्थीगण विक्रय करके हम प्रार्थीगण के अधिकारों को नुकसान पहुंचाना चाहता है। यह है कि हिन्दू कानून के अनुसार वादगत खेत व प्रार्थीगण के दादा चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल के नाम से खातेदारी के होने से व चुनाराम उर्फ चुन्नीलाल जी के देहान्त हो जाने से इन खेतों में प्रार्थीगण का खेत खसरा नम्बर 932 तादादी 15.18 हैक्टेयर में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/4 हिस्सा में से 1/16 हिस्सा व खेत खसरा नम्बर 918 तादादी 6.83 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा में प्रार्थीगण प्रत्येक का 1/2 हिस्सा में से 1/8 कानूनन बनता है। इन खेतों में प्रार्थीगण का अन्य पक्षकारान के साथ संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की नियत खराब हो गई है जो इन खेतों को हस्तान्तरण करके हम प्रार्थीगण को बर्बाद कर देना चाहते हैं। हम प्रार्थीगण कानून में विश्वास रखने वाले व्यक्ति है जो बलपूर्वक अप्रार्थीगण का मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के बहकावे में आया हुआ है। हिन्दू कानून के अनुसार वादगत खेत प्रार्थीगण के दादा के खातेदारी के रहे हैं और कानूनन इन खेतों में प्रार्थीगण का जन्म से ही हक व हिस्सा बनता है परन्तु रेवेन्यू रिकॉर्ड में भूलवश प्रार्थीगण का नाम खातेदारी के रूप में दर्ज नहीं होने से नाजायज फायदा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उठाना चाहते हैं दिनांक 29.03.2022 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण से निवेदन किया कि वो सहमति से वादगत खेंतों में प्रार्थीगण का नाम संयुक्त खातेदार के रूप में अंकित करा देवें। यह है कि प्रार्थीगण को अपने हक व हितों के मध्यनजर रखते हुए यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थीगण ने दिनांक 29.03.2022 को यह भी धमकियां दी हैं कि वो इन खेतों को किसी अन्य व्यक्तियों को विक्रय आदि प्रकार से हसतान्तरित करके प्रार्थीगण के हक व हिस्से को हड़प कर लेंगे। अगर अप्रार्थीगण अपने गलत मकसद में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। इस प्रकार अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन है।

अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से वर्जित फरमाया जावें कि वो वादगत खेत खसरा नम्बर 932 तादादी 15.18 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 918 तादादी 6.83 हैक्टेयर को किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें तथा किसी अन्य व्यक्ति को कब्जा नहीं करावें और प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी नहीं करें तथा ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे प्रार्थीगण के हितों पर कोई विपरीत असर पड़ता हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.10.03 12:32:59 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को वाद दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये परन्तु अप्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा हिदायत पैरवी नहीं का कथन किया गया। जिस पर अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 के विरूद्ध

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। राजपैरोकार उपस्थित रहे व हित नहीं होना जाहिर किया। बहस एकतरफा सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस करतें हुए प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण खसरा नंबर 932 व 918 वाकेरोही बिग्गा के रिकार्डेड खातेदार बंशीलाल पुत्र स्व. चूनाराम के पुत्र है। संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि जाहिर होती है। अतः प्रर्थीगण की पैतृक कृषि भूमि के हितों के संरक्षण हेतु प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त, प्रार्थीगण के पक्ष में बनता है। लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

**आदेश**

खेत खसरा नम्बर 932 तादादी 15.18 हैक्टेयर व खेत खसरा नम्बर 918 तादादी 6.83 हैक्टेयर वाकेरोही बिग्गा में अप्रार्थीगण किसी प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें एवं तादावा फैसला रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखें।

आदेश आज दिनांक 16.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

**निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।**

(मुकेश चौधरी)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़(बीकानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Mukesh Choudhary
Date: 2023.10.03 12:32:59 IST
Reason: SelfAttested